

राजस्व वाद संख्या:-09 / 2023
किरण वगै० बनाम चन्द्रकला वगै०
निर्णय दिनांक:- 17.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)


मु०नं० 09 / 2023
निर्णय दिनांक:- 17.04.2025

किरण वगै० बनाम चन्द्रकला वगै०
दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 17.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥ उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-


वाद वादी डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम ढक्करवाल पटवार हल्का देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि के ख.नं. 01 रकबा 2.36 है०, खसरा नम्बर 04 रकबा 1.91 है० कुल किता 02 कुल रकबा 4.27 है० मे पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.12.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।


(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ सूरजगढ

किरण वगै० बनाम चन्द्रकला वगै०
मु०नं० 09/2023
दावा बाबत खाता विभाजन

दिनांक - 17.04.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा ग्राम ढक्करवाल पटवार हल्का देवरोड तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि के ख.नं. 01 रकबा 2.36 है०, खसरा नम्बर 04 रकबा 1.91 है० कुल किता 02 कुल रकबा 4.27 है० मे पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.12.2024 में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पिलानी को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।


(सुमन देवी प्र. आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
सूरजगढ़